[2021] 9 एस. सी. आर 602

भारत और अन्य का संघ।

बानाम

अमृता सिन्हा

(2021 की सिविल अपील संख्या 7640-7641)

11 दिसंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्ति-आयोजित: में।

अनुकंपा नियुक्ति के दावे का मूल्यांकन करते हुए, सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर परिवार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अधिकारियों के लिए यह खुला है-यदि योजना के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक पेंशन

अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदन के गुण-दोष का मूल्यांकन करते समय इसका पालन किया जाना चाहिए।

सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्ति-आयोजित करने की प्रकृति: यह अधिकार की बात नहीं है, बल्कि परिवार को तत्काल संकट से उबरने में सक्षम बनाने के लिए है जो कर्मचारी की मृत्यु के परिणामस्वरूप हो सकता है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील Nos.7640

7641 2021 से।

2017 के डब्ल्यू. पी. सं. 15982 और 2017 के डब्ल्यू. एम. पी. सं. 17280 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., एस. एस. रिज़वी, सुश्री वैशाली वर्मा, सुश्री सीमा बेंगनी, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

राबिन मजूमदार, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

आदेश

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. मद्रास में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 26 अप्रैल 2018 के अपने फैसले से इस फैसले की पुष्टि की है और

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश ', अपीलार्थियों को निर्देश देता है कि

1 " न्यायाधिकरण "

602 भारत और ओआरएस का संघ। वी. अमृता सिन्हा

अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी के दावे पर पुनर्विचार करें

2014-15 के लिए। 4. प्रत्यर्थी का जीवनसाथी भारतीय वायु सेना में सार्जेंट का पद धारण कर रहा था। नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

6 जनवरी 2008 को कैंसर के कारण, उत्तरदाता और दो नाबालिग बच्चों को पीछे छोड़ गए। प्रतिवादी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन इसे 17 फरवरी 2011 को खारिज कर दिया गया था। 11 फरवरी 2014 को दायर एक बाद के आवेदन को भी 16 जून 2015 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादी ने योग्यता अंक प्राप्त किए थे जिससे वह अनुकंपा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी।

नियुक्ति।

5. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) में भारत संघ ने 9 अक्टूबर 1998 को "अनुकंपा नियुक्ति की योजना" शीर्षक से एक ओ. एम. 2 जारी किया।

केंद्र सरकार के अधीन "। 22 जनवरी 2010 को, भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय 3 में "अनुकंपा नियुक्ति संबंधी योग्यता, बिंदु और संशोधित प्रक्रिया की योजना" शीर्षक से एक ओ. एम. 4 जारी किया।

चयन के लिए "। इसके बाद 14 मई 2010 को रक्षा मंत्रालय का एक और ओ. एम. 3 आया।

6. अपने पति की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी को 8,265 रुपये प्रति माह की राशि में पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति हुई थी। द.

2 ओ. एम. सं. 14014/6/94-अनुमान (डी) 3 "रक्षा मंत्रालय" 4 एफ. नं. 19 (3/2009/डी) (प्रयोगशाला) 5 एफ. नं. 19 (3/2009/डी) (प्रयोगशाला)

न्यायसंगत क्योंकि मृतक द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए पेंशन का भुगतान किया जाता है

कर्मचारी। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने कहा कि पेंशन की मात्रा 7 जनवरी 2018 से घटाकर 4,959 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी और चूंकि मृतक कर्मचारी की मृत्यु एक घातक बीमारी के कारण हुई थी, इसलिए परिवार "कर्ज में हो सकता है" और "हो सकता है कि उसने अपने इलाज के लिए संपत्ति बेच दी हो", जबकि, साथ ही, यह देखते हुए कि वह उन पहलुओं में नहीं जा रहा था। इस आधार पर, अस्वीकृति पत्र को रद्द कर दिया गया और अपीलार्थियों को मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा है कि अधिकारियों ने मासिक आय में पारिवारिक पेंशन को ध्यान में रखते हुए गलती की है, क्योंकि यह 7 जनवरी 2018 से अर्जित होने वाली नियमित पेंशन पर विचार करने के बजाय प्रतिवादी द्वारा अर्जित एक तदर्थ आय थी। 7. हमने अपीलार्थियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान और वकील श्री रबीन मजूमदार को सुना है।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होना।

योजना। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि प्रतिवादी के दावे को 17 फरवरी 2011 को पहले ही खारिज कर दिया गया था और अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक नया दावा किए जाने के बाद भी, इसका मूल्यांकन नीति के संदर्भ में किया गया था और प्रतिवादी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं पाया गया था। 9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी का मामला यह था कि योग्यता अंक

उन्हें जो सौंपा गया था, उसकी गणना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गलत तरीके से की गई थी कि 7 जनवरी 2008 से देय 8,265 रुपये प्रति माह की पारिवारिक पेंशन का 7 जनवरी 2018 से 4,959 रुपये प्रति माह पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। श्री रबीन मजूमदार ने

न्यायाधिकरण के फैसले पर भरोसा किया और आग्रह किया कि प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय मानवीय आधार पर न्यायाधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

10. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का आकलन करते समय, यह आवश्यक हो जाता है,

प्रारम्भ में, उन कारणों पर विचार करना जो न्यायाधिकरण के साथ वजन करते हैं क्योंकि यह न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा त्रुटि से ग्रस्त नहीं माना गया है। नीति दस्तावेज के तहत, जो अनुकंपा के मामलों पर विचार करने की योजना का प्रतीक है

नियुक्ति, विभिन्न शीर्षों के तहत अंक प्रदान किए जाते हैं। प्रत्यर्थी को देय मासिक पेंशन को योग्यता अंकों के पुरस्कार में ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। हालाँकि, न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के लिए पेंशन का भुगतान किया जाता है और इसलिए, उस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करना उचित नहीं था। न्यायाधिकरण का यह तर्क गलत है।

निस्संदेह, पेंशन इनाम का कार्य नहीं है, बल्कि एक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के प्रति है। हालांकि, मूल्यांकन में ए

अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा, अधिकारियों के लिए सेवा में रहते हुए मृत्यु पर परिवार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए खुला है। अनुकंपापूर्ण नियुक्ति एक निहित अधिकार नहीं है। यह एक परिवार को सेवा में रहते हुए अपने वेतनभोगी की मृत्यु के कारण होने वाले वित्तीय संकट से निपटने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। यदि योजना की आवश्यकता है कि परिवार

आवेदन के गुण-दोष का मूल्यांकन करते समय पेंशन को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसका पालन किया जाना चाहिए।

11. वर्तमान मामले में, आवेदन पर विचार करने की तारीख को देय पारिवारिक पेंशन को शामिल किया गया है।

खाता। यह तथ्य कि एक दशक के बाद पेंशन नीति के संदर्भ में संशोधन के लिए तैयार होगी, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने की तारीख को पारिवारिक पेंशन के लिए किए जा रहे पेंशन भुगतान को त्यागने का कारण नहीं था।

12. अनुकंपापूर्ण नियुक्ति अधिकार की बात नहीं है, बल्कि परिवार को तत्काल संकट से उबरने में सक्षम बनाने के लिए है जो इसके परिणामस्वरूप हो सकता है।

कर्मचारी की मृत्यु। यदि सरकार की नीति में परिकल्पना की गई है कि पारिवारिक पेंशन का भुगतान दस साल के लिए किया जाएगा, जिसके बाद इसे संशोधित करना होगा, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान पेंशन भुगतान को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों ने एक बाहरी परिस्थिति पर विचार किया है। अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले सभी आवेदकों के लिए एक ही मानदंड समान रूप से लागू किया जाता है। 13. उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचकर न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण की पुष्टि की है कि प्रत्यर्थी को किया जा रहा भुगतान तदर्थ प्रकृति का था और योग्यता अंक प्रदान करते समय अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से विचार किया गया था। [2021] 9 एस. सी. आर. के तर्क की यह पंक्ति।

उच्च न्यायालय भी ट्रिब्यूनल की तरह ही त्रुटिपूर्ण है। पारिवारिक पेंशन का भुगतान एक तदर्थ राशि नहीं थी, लेकिन, स्पष्ट रूप से लागू सेवा नियमों के अनुसार था। प्रतिवादी के आवेदन को शुरू में 2011 में खारिज कर दिया गया था और उसके बाद 2014 में फिर से विचार किया गया था। स्पष्ट मनमानेपन के मामले की अनुपस्थिति में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के लिए मूल्यांकन में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था जो लागू दिशानिर्देशों के संदर्भ में अधिकारियों द्वारा किया गया था। इसके अलावा, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि अनुकंपा नियुक्ति का अनुदान ऐसी योजना के मूल उद्देश्य और उद्देश्य के अनुसार नहीं होगा।

14. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और 26 अप्रैल 2018 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार कर देते हैं।

प्रत्यर्थी द्वारा दायर ओ. ए. इन परिस्थितियों में खारिज हो जाएगा।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस 6 ओए नंबर 310/01721/2015